फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पेमा — बनाम — विपक्षी : श्री देवा व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 77/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता पर कोई कार्यवाही नही चाहकर नोट प्रेस किया गया। अतः कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य खातेदारों की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पेत्रिक है जो हमारे मोरूस जेता जी के वक्त से चली आ रही है हमारे मूल पुरूष श्री जेता पिता कना जी थे जिनका निधन हो चुका है। जेता पिता कना जी की पत्नी श्रीमती फुलकी बाई का निधन को चुका है। जेता जी के चार पुत्र देवा, खेमा, भेरा, लखमा, एवं तीन पुत्रीयां वरदी, कुरकी, गंगली उर्फ गंगा हुई जिसमें से पुत्र भेरा का निधन हो गया है जिसके वारिस उसकी पत्नी केसरी बाई एवं पुत्र उदा, कालुलाल व पुत्री टमुबाई है। वरदी का निधन हो गया है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 देवा पिता जेता को अपने पिता जेता पिता चेना जी की विरासत से प्राप्त हुई है और देवा पिता जेता के पांच पुत्र प्रार्थी पेमा, विपक्षी परथा, कना, नारू, फता एवं दो पुत्रियां डालीबाई भोलीबाई होकर सभी का जन्म से ही हक अधिकार स्वत्व हित निहित है। प्रार्थी पेमा बाहर मजदुरी करता है ओर पिछे प्रार्थी की पत्नी परिवार वाले होकर विपक्षी संख्या 1 का भरण पोषण सेवा चाकरी बिमारी में इलाज आदि करवा रहे है लेकिन विपक्षी परथा, कना, नारू, फता ने प्रार्थी का नाजायज नुकसान पहूंचाने, स्वयं द्वारा नाजायज लाभ अर्जित करने की बदनियत से प्रार्थी के बिना ज्ञान बिना सहमती के प्रार्थी के पीठ पिछे वाद की कलम न. एक के परिशिष्ठ क में वर्णित विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित कुलीया भूमि आ.न. 726, 730/1, 734, 735, 745, 746, 748, 749, 791 किता 9 रकबा 4 विघा 7 बिस्वा का अपने हक हिस्से से ज्यादा हिस्से का फर्जी बनावटी मिथ्या दान पत्र (बक्षीस नामा) दिनांक 26.02.2013 को निष्पादित कर उप पंजियक भीण्डर में पजियंन करा दिया। उक्त दान पत्र मुझ प्रार्थी के मुकावले अवैध होकर शुन्य प्रभावी है और ऐसे अवैध नुमाईशी दान पत्र के आधार पर विपक्षी परथीराज, कना, नारू, फता को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि की कलम न. 1 में वर्णित [illegible] प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रार्थनाग्रस्त भूमि की परिशिष्ट (ख) [illegible] भूमि की खातेदार वरदी बाई का निधन हो जाने से प्रार्थी का 1/48 हिस्सा है तथा प्रार्थना पत्र की कलम न. 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/48 हिस्सा है। [illegible] प्रार्थी का [illegible] से हक अधिकार है। उक्त भूमि प्रार्थी की मोरूसी भूमि [illegible] प्रार्थी के हक हिस्से [illegible] भूमि विपक्षी संख्या 1 को अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का दान करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:25 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है तथा प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 देवा के जीवनकाल में उक्त वाद संस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है। सही स्थिति इस प्रकार है कि उक्त कलम नं 1 में वर्णित आराजीयात के अलावा मौजा रणीया की आराजी नं 411/27 रकबा 10 बीघा भूमि पर विपक्षी सं 1 देवा का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था कि सरकारी भूमि पर ऐलोट कराने के कैम्प लगे तब विपक्षी संख्या 1 देवा ने प्रार्थी पेमा को आवेदन का फार्म लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी के पास भेजा और देवा का पेमा ने वापस आकर बताया कि एलोटमेंट का फार्म कर दिया इस पर देवा ने प्रार्थी पेमा पर विश्वास कर लिया और प्रार्थी पेमा की नीयत शुरू से ही खराब थी इसलिए प्रार्थी पेमा ने विपक्षी सं 1 के नाम का आवेदन नहीं लगा कर अपने स्वयं के नाम का लगा दिया जिस कारण से उक्त भूमि आ.न. 411/27 रकबा 10 बीघा प्रार्थी पेमा के नाम अंकित हो गई जिसका पता प्रार्थी पेमा ने अपने परिवार में किसी को नहीं चलने दिया। वर्ष 2010 में विपक्षी स 1 पेमा ने अपनी कृषि भूमि का अपने पुत्रों के मध्य आपसी फेमेली सेटलमेंट से विभाजन करने के लिए खाते की नकले मंगवाई तो पता चला कि प्रार्थी पेमा ने छल कपट एवं धोखे से मौजा रणीया में आ.न. 411/27 रकबा 10 बीघा अपने नाम करा ली जिस पर विपक्षी सं. 1 देवा ने उक्त आवंटन सुदा आ.न. 411/27 प्रार्थी पेमा के हिस्से में रखी औरर शेष कलम न. 1 में वर्णित बापोती की भूमि विपक्षी पृथ्वीराज, किशनलाल, नारू एवं फतहलाल के हिस्से में रखी लेकिन प्रार्थी पेमा उक्त आवंटन सुदा भूमि के अलावा शेष कलम न. 1 में वर्णित भूमि में से हक मांगने लगा जिस पर विपक्षी सं 1 ने प्रार्थी को समझाया लेकिन प्रार्थी नहीं माना जिससे विपक्षी देवा ने उक्त कलम नं 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होने एवं उक्त कलम न. 1 में वर्णित भूमि में देवा के हिस्से पर विपक्षी पृथ्वीराज, कना, नारू, फतहलाल का हक हिस्सा कब्जा उपयोग उपभोग होने से देवा ने विपक्षी पृथ्वीराज, कना, नारू, फतहलाल के पक्ष में दिनांक 26.02.2012 को रजिस्टर्ड दान पत्र का निष्पादन एवं पंजियंन करा दिया और यह भूमि जरिये नामान्तरण सं. 580 से दान गृहिता के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हो चुकी है। जहां तक दान पत्र का सवाल है तो दान पत्र विधि अनुसार हुआ है जो सही है और जब तक प्रार्थी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले तब तक प्रार्थी को उक्त वाद संस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी पृथ्वीराज, कना, नारू, फतहलाल विपक्षी देवा की भूमि के दान पत्र के आधार पर खातेदार है और खातेदार के विरूद्ध न तो निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है और न ही किसी प्रकार की कोई घोषणा की जा सकती है क्योंकि विपक्षी सं 1 ने विपक्षी पृथ्वीराज, कना, नारू, फतहलाल के पक्ष में जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह विधि अनुसार निष्पादित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया उसी के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] प्रार्थनाग्रस्त भूमि मूल पुरूष जेता पिता चेना के नाम अंकित थी जो वि[illegible] विपक्षी संख्या 1 व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज रेकर्ड हुई जि[illegible] उक्त कथन को बल मिलता है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मूल पु[illegible] के वक्त से चली आ रही है। दिनांक 26.10.2013 को विपक्षी सं[illegible] परिशिष्ट (क) की भूमि जरिये दान पत्र से अपने 2/7 हिस्से को विपक्षीगण के नाम दान कर दी जिससे वर्तमान में परिशिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:25 IST
Reason: Self Attested